

पत्र सं०-08/जसं(नि)देक-10/2006 अंश :-

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर-महगामा के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2744 दिनांक- 21.10.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री सिंह दिनांक- 30.04.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43बी० में सम्परिवर्तित किया जाता है।


80/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 9221 राँची / दिनांक 12-05-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर-महगामा/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव